बिहार सरकार

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

पटना दिनांक ....

सं0सं0 –15/छोआ–नीति–15/2012 ....3580..../ बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (बिहार अधिनियम 6, 1947) की धारा 8 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी मिलों को देय नियत्रित छोआ के मूल्य का समय समय पर निर्गत अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए बिहार–राज्यपाल छोआ का मूल्य ₹ 287.50 (दो सौ सत्तासी रू0 पचास पैसे) प्रति क्वींटल निर्धारित करते हैं।

2. यह मूल्य अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 15/छोआ–नीति–15/2012 – 3580 पटना, दिनांक: 05.12.14

प्रतिलिपि :– 1. महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेलपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. वित्त विभाग ई गजट कोषांग, बिहार पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी 500 प्रतियॉ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/वित्त (वाणिज्य कर) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद एवं सभी अधीक्षक उत्पाद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यार्थ प्रेषित।

7. राज्य के सभी चीनी मिलों एवं आसवनगृहों के प्रबंधको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/12/14

सरकार के सचिव,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राजस्व पर्षद, बिहार

अधिसूचना

पटना दिनांक ....

15 / छोआ–नीति–15 / 2012 संख्या.....3599 / बिहार सुषव (मूल्य निर्धारण एवं नियंत्रण) नियमावली,1994 के नियम–3 के प्रावधानानुसार राजस्व पर्षद, बिहार राज्य के सभी आसवनी (चीनी मिल से सम्बद्ध आसवनी द्वारा Captive Molasess से उत्पादित सुषव को छोड़कर) उत्पाद प्रपत्र–27 एवं 27–क में प्रदत्त अनुज्ञप्तिधारकों को देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के निर्माण के निमित्त आपूरित किये जाने वाले संशोधित सुषव एवं संशोधित सुषव ग्रेड–1 का अधिकत्तम बिक्री मूल्य बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित क्रमशः रूपया 28.00 (अठाईस रूपये) एवं 28.80 (अठाईस रूपये अस्सी पैसे) प्रति बल्क लीटर को परिवर्तित कर क्रमशः (वाणिज्य–कर छोड़कर) रूपया 35.00 (पैंतीस रूपये) एवं 35.80 (पैतीस रूपये अस्सी पैसे) प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

2. कंडिका–1 में वर्णित आसवनी द्वारा Captive Molasess से उत्पादित सुषव (जिसमें परिवहन व्यय के बदले हथालन व्यय अनुमान्य किया गया है) के लिए (वाणिज्य–कर छोड़कर) संशोधित सुषव का मूल्य रूपया 31.70 (इक्कतीस रूपये सत्तर पैसे) एवं संशोधित सुषव ग्रेड–I का मूल्य रूपया 32.50 (बत्तीस रूपये पचास पैसे) निर्धारित किया जाता है।

3. राज्य में छोआ से उत्पादित सुषव तैयार करने वाले समस्त इकाईयों के लिए राज्य में मूल्य व्यवस्थापन (Price Management) करते हुए एक समान मूल्य का विनिर्धारण एवं विनियमन (Fixation and Regulation) आदेश प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत किया जायगा।

4. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

राजस्व पर्षद बिहार के आदेश से,

ह0 / –
उप सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 15 / छोआ–नीति–15 / 2012 - 3599 पटना, दिनांक: 05.12.14

प्रतिलिपि :– 1. महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेलपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. वित्त विभाग ई गजट कोषांग, बिहार पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी 500 प्रतियॉ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
4. माननीय मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / वित्त (वाणिज्य कर) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी समाहर्त्ता / सभी उपायुक्त उत्पाद / सभी सहायक आयुक्त उत्पाद एवं सभी अधीक्षक उत्पाद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यार्थ प्रेषित।
7. राज्य के सभी चीनी मिलों एवं आसवनगृहों के प्रबंधको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

पटना दिनांक ....

15 / छोआ–नीति–15 / 2012 संख्या 3600 / राजस्व पर्षदीय अधिसूचना संख्या 3599 दिनांक 05.12.14 द्वारा निर्गत अधिसूचना के क्रम में यह संसूचित किया जाता है कि संशोधित सुषव एवं संशोधित सुषव ग्रेड–I की निर्धारित बिक्री मूल्य क्रमशः 35.00 रू0 एवं 35.80 रू0 प्रति बल्क लीटर एवं चीनी मिलों के साथ सम्बद्ध आसवनियों द्वारा Captive Molasess से उत्पादित संशोधित सुषव एवं संशोधित सुषव ग्रेड–I की निर्धारित बिक्री मूल्य क्रमशः 31.70 रूपये एवं 32.50 रूपये प्रति बल्क लीटर के बीच की अन्तर राशि उत्पाद प्रपत्र–27 एवं 27–क के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विहित चालान के माधम से अग्रिम जमा करने के उपरान्त ही पारक निर्गत किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना राजस्व पर्षदीय अधिसूचना संख्या 3599 दिनांक 05.12.14 द्वारा निर्गत अधिसूचना के साथ प्रभावी होगा।

ह0 / –
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: 15 / छोआ–नीति–15 / 2012 – 3600 पटना, दिनांक: 05/12/14

प्रतिलिपि :– 1. महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेलपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. वित्त विभाग ई गजट कोषांग, बिहार पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी 500 प्रतियॉ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
4. माननीय मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / वित्त (वाणिज्य कर) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी समाहर्त्ता / सभी उपायुक्त उत्पाद / सभी सहायक आयुक्त उत्पाद एवं सभी अधीक्षक उत्पाद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यार्थ प्रेषित।
7. राज्य के सभी चीनी मिलों एवं आसवनगृहों के प्रबंधको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 05/12/14

सरकार के सचिव,
बिहार, पटना